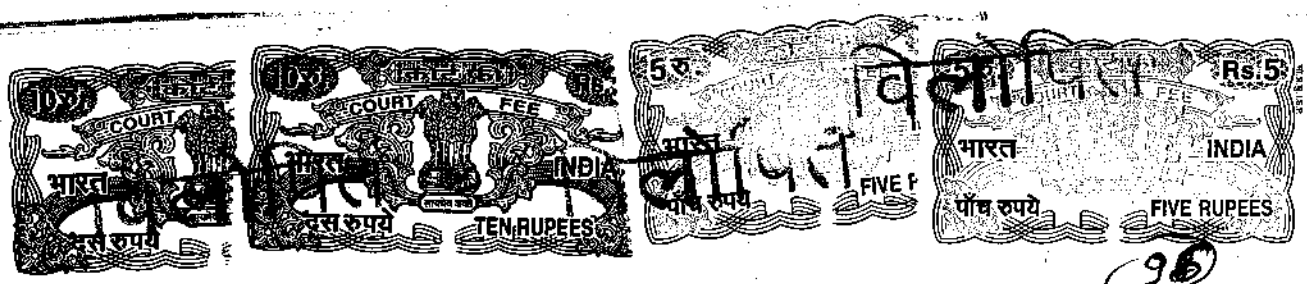

विशेष वाचन लीगल

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

रिखराज तनय बलदीन यादव ,

निबासी ग्राम हीरापुर, तहसील वल्देवगढ, जिला टीकमगड म0प्र0

..................आवेदक

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एड. द्वारा आज दि. 15/02/16 को प्रस्तुत

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा अपने ही प्र0क0 427/बी121/2013—14 में स्वयं द्वारा पारित आदेश दिनांक 01/08/2014 के पालन में कंप्यूटर अभिलेख में नाम दर्ज न करने के कारण उन्हें निर्देश जानी करने वावद प्रस्तुत कर रहा है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं अन्य लोंगों के नाम से ग्राम हीरापुर खास की विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि का व्यवस्थापन बर्ष 1983—84 में किया गया था, उपरोक्त व्यवस्थापन को नायब तहसीलदार कुडीला ने अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करके ,अपने द्वारा दिनांक 03/09/2009 को आदेश पारित करके अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिनांक निरस्त कर दिया था। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 89/बी121/2008—09 पर पंजीबद्व करके पारित आदेश दिनांक 26/08/2009 के द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

3— यह कि अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/08/2009 से परिवेदित होकर एक निगरानी आवेदक व अन्य लोगों द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 542 –दो/16 **जिला** –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शिखराज विरूद्ध शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16.02.16	मैने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बल्देवगढ जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 427/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 1.8.2014 के पालन में कंप्यूटर अभिलेख में नाम दर्ज कराने का निर्देश जारी करने बावत प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ अपर आयुक्त सागर द्वारा प्र0 क0 25/बी–121/09–10 में पारित आदेश दिनांक 28.1.14 एवं तहसीलदार वल्देवगढ द्वारा प्र0क0 427/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 1.8.14 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। जिनका अवलोकन किया गया। आवेदक विद्वान के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। 2– आदेशें के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक एवं अन्य लोगों के नाम से ग्राम हीरापुर खास की विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1983–84 में नायब तहसीलदार द्वारा किया गया था, उपरोक्त व्यवस्थापन को नायब तहसीलदार कुडीला ने अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करके आदेश दिनांक 3.9.2009 के द्वारा निरस्त कर दिया था। जिसकी	

 R542 पी/16

अपील आवेदक व अन्य हितबद्ध लोगों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 89/बी-121/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 26.8.09 के द्वारा निरस्त कर दी गई थी। जिसके विरुद्ध आवेदक एवं अन्य के द्वारा अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में निगरानी कमांक 25/बी-121/2009-10 प्रस्तुत की थी। जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.2.2014 के द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.8.09 एवं 3.9.09 निरस्त किये गये हैं। जिससे पूर्ववत बंटन बहाल हो गया है। जिसके पालनार्थ आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार बल्देवगढ के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसे प्रकरण कमांक 427/बी-121/2013-14 पर दर्ज करके आदेश दिनांक 1.8.2014 के द्वारा तहसीलदार ने कंम्प्यूटर अभिलेख में नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया था। जिसके पालन कराने के संबंध में आवेदकगण द्वारा आवेदनपत्र भी पुनः प्रस्तुत किया था किन्तु उनके अनुसार नाम दर्ज नहीं हुआ है।

3- यदि अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 28.2.14 एवं तहसीलदार वल्देवगढ का आदेश दिनांक 1.8.2014 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये गये हैं, तो आवेदक एवं अन्य हितवद्ध कृषक उपरोक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

4- अतः तहसीलदार वल्देवगढ को निर्देशित किया

जाता है कि आप अपने ही न्यायालय द्वारा प्र0क0 427/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 1.8.14 के पालन में आदेश की संसूचना प्राप्त होने से 15 दिवस के अन्दर कंप्यूटर अभिलेख में आदेश में दर्शित सभी हितवद्ध कृषकों का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करावें। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिला दर्ज हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य